श्रीधर सी० भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण एवं श्री नवीन वर्मा भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 01.05.2013 को चनायन बांध पंचायत के कसेरा टोला का किए गए भ्रमण की टिप्पणी :–

दिनांक 01.05.2013 को मझौलिया प्रखंड के चनायन बांध पंचायत के कसेरा टोला का भ्रमण श्री नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के साथ किया गया है। उक्त भ्रमण के अवसर पर श्याम नारायण राम, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया, श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय उपसमाहर्ता, बैंकिंग, श्री अनिमेश कुमार परासर, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा एवं श्री रामाशंकर, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर उपस्थित थे।

1.0 कसेरा टोला के सभी निवासी पीतल के बरतन एवं अन्य उपस्कर तैयार करने के कार्य में लगे हुए हैं तथा इससे प्राप्त आय से वे जीवन यापन करते हैं। इन कार्य में परिवार की महिला, समिति के सभी सदस्यों के द्वारा योगदान दिया जाता है। इस गांव में हो रहे पीतल व्यवसाय का MSME के कलस्टर योजना अंतर्गत चयनित किया गया है तथा बेसलाईन सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण किया गया है। भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कतिपय स्थानों पर पीतल को स्क्रैप फर्नेस में लगाकर पीतल की शीट्स तैयार किया जा रहा है तथा तैयार किए गए पीतल की शीट्स से पलेट, गलास, विभिन्न साईज एवं आकार के लोटा तथा डब्बू (करछुल) तैयार किया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि प्रति किलों 400 रू० की दर से तैयार सामग्री की बिक्री किया जाता है।

2.0 स्क्रैप का क्रय विभिन्न परिवारों के द्वारा अलग–अलग किया जा रहा है। क्रय कर सामग्री (स्क्रैप) ले आते समय पुलिस विभाग तथा कॉमर्शियल टैक्स विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा काफी अवरोध उत्पन्न किया जाता है, बताया गया। साथ ही अलग–अलग स्क्रैप क्रय करने के कारण पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता है तो महाजन से राशि लेकर स्क्रैप क्रय करने के पश्चात् उन्हीं को बरतन बेचने की विवशता रह जाती है।

3.0 भ्रमण के दौरान पाया गया कि कसेरा टोला में तीन समिति का गठन किया गया है तथा पूर्व में सरकार के द्वारा निर्मित ट्रायसम भवन में एक वर्कशॉप संचालित है। ट्रायसम भवन वर्तमान में पूर्ण रूप से जर्जर है तथा इसमें जगह की कमी है। स्थानीय समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि समिति के पास वर्कशॉप के भवन के अलावा अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है। भ्रमण के क्रम में जेनरेटर, प्रेसिंग मशीन एवं स्टोर रूम के साथ–साथ विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध स्थानीय जनता के द्वारा किया गया है।

4.0 भ्रमण के पश्चात् ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित कर उनसे विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया है तत्पश्चात् प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

क्र	कार्य	संबंधित पदाधिकारी	समय सीमा
1	2	3	4
1	स्क्रैप क्रय कर ले आते समय गतिरोध दूर करने हेतु पीतल व्यावसायियों को फोटो पहचान पत्र निर्गत करना।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया	15 दिन
2	स्क्रैप क्रय एवं अन्य कार्य हेतु पूंजी के लिए कैश क्रेडिट लिमिट ऋण की व्यवस्था करना	वरीय उपसमाहर्ता, बैंकिंग / लीड बैंक मैनेजर, बेतिया	दो माह
3	पुराने जर्जर ट्रायसम भवन के स्थान पर नए वर्कशॉप के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित करना।	जिला योजना पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, एल0ई0ओ0–1, बेतिया	15 दिन
4	प्रेसिंग मशीन एवं अन्य उपस्कर तथा सोलर आधारित जेनरेटर लाईट्स की तकनीकि तौर पर छानबीन कर प्रस्ताव प्रेषित करना।	जिला योजना पदाधिकारी, बेतिया	एक माह
5	कसेरा टोला को विद्युत उपलब्धता की छानबीन कर ट्रांसफर्मर अधिष्ठापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया	एक माह
6	कसेरा टोला के पी0एम0ई0जी0पी0 योजना अंतर्गत आच्छादित होने योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करना।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया	15 दिन

उपरोक्त के अलावा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के द्वारा निदेश दिया गया कि उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टूरिज्म / ट्रेड मेलों में तैयार सामग्रियों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाने की सूचना महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया की ओर से विभाग को प्रेषित किया जाए तथा विभिन्न आयोजनों के स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

5.0 कसेरा टोला निवासियों के द्वारा हाथ से तैयार की जा रही सामग्रियों पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कलस्टर ऑफ बिहार की मार्किंग कराने हेतु कार्रवाई महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया सुनिश्चित करेंगे।

6.0 भ्रमणोपरांत निर्णय लिया गया कि कसेरा टोला में पीतल के व्यवसाय के विकास तथा गांव के सर्वांगीण विकास हेतु सम्यक रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..../गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया/प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया/वरीय उपसमाहर्ता, बैंकिंग, बेतिया/लीड बैंक मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बेतिया/जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, प्रमंडल–1, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकाश शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..../गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– निदेशक उद्योग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।